

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उमेश शर्मा बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार

किरम मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर - 8 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	संख्या व तारीख अहकाम जो हुक्म हुक्म की तारीख व जारी हुई
23.01.2024	<p>वकील डिक्रीदार श्री रक्षपाल स्वामी एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2024 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 29.02.2024 को पेश हो।</p> <p>(दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	344/2024 23-1-2024
29.04.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 1086 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	कोजलाइन मित्रिय श्रीमाधोपुर आदेश की पालना जा. सं. 1086 दि. 8.2.24 द्वारा की जाती है। अनिल कुमार QR Code